

## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 22(6)लेखा/प्रमुवसं/12-13/ 7551-71 दिनांक : 28/12/17

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यआयोजना एवं वन बन्दोवस्त राजस्थान, जयपुर।
2. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यजीव) राजस्थान, जयपुर
3. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन सुरक्षा) जयपुर।
4. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एनटीएफपी राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक परियोजनाएँ, कोटा।
7. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर/भरतपुर/कोटा/उदयपुर/  
अजमेर/बीकानेर/जयपुर।

विषय:- राजस्व संशोधित अनुमान वर्ष 2017-18 एवं बजट अनुमान 2018-19 की बजट निर्णायक समिति की बैठक हेतु सूचना भिजवाने बाबत।

सन्दर्भ:- क्रमांक : एफ 22(6)लेखा/प्रमुवसं/12-13/7311-23 दिनांक : 13.12.2017

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा (प्रति संलग्न) वित्त विभाग के पत्र दिनांक 17.01.2018 को इस विभाग के संशोधित राजस्व अनुमान वर्ष 2017-18 एवं बजट अनुमान वर्ष 2018-19 को अंतिम रूप देने हेतु बी.एफ.सी. की बैठक हेतु वित्त विभाग द्वारा चाही सूचनाओं सहित निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.12.2017 तक आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु लिखा गया था। परन्तु आपके कार्यालय के प्रस्ताव आज तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इस कार्यालय द्वारा सम्पूर्ण विभागीय प्रस्तावों को दिनांक 10.01.2018 तक वित्त विभाग को भिजवाये जाने है।

अतः व्यक्तिगत रुचि लेकर आपके कार्यालय के प्रस्तावों को दिनांक 05.01.2018 तक विशेष पत्रवाहक के साथ वित्तीयसलाहकार वन विभाग को आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें। अन्यथा निर्धारित कि गई तिथि तक आपके कार्यालय के प्रस्ताव प्राप्त न होने पर आपके कार्यालय की सूचना को शून्य मानते हुए विभागीय प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवा-दिये जायेंगे।

भवदीय  
  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(HOFF),  
राजस्थान, जयपुर